लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 21 अगस्त, 2021 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की आकस्मिक बैठक आज दिनांक 21 अगस्त, 2021 को अपराह्न 3:00 बजे प्रसाशनिक भवन स्थित समिति कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहेः–

1.	**श्री आलोक कुमार राय**	**कुलपति**	**अध्यक्ष**
2.	श्री अशोक सिंह	संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3.	श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,, लखनऊ। प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. एम. सक्सेना	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ जनपद के सहयुक्त महाविद्यालयों के अतिरिक्त चार नये जिलों के महाविद्यालयों को लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त होने के पश्चात् मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति से प्राप्त संस्तुति, जोकि नव–प्रवेशित छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की निर्धारित परीक्षा शुल्क में से रू0 500/–प्रति सेमेस्टर एवं प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली नामांकन शुल्क में रू0 500/– कम किये जाने से सम्बन्धित है, वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों के अतिरिक्त चार नये जिलों के महाविद्यालयों के लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ने के पश्चात् उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त जनपदों के महाविद्यालयों में वर्ष 2021–22 से नव–प्रवेशित छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की निर्धारित परीक्षा शुल्क में से रू0 500/–प्रति सेमेस्टर एवं प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली नामांकन शुल्क में से रू0 500/– को कम किये जाने की संस्तुति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किये जा रहे पी.एच.डी. पार्ट–टाईम प्रोग्राम से सम्बन्धित शुल्क निर्धारण हेतु बनायी गयी समिति के द्वारा पी.एच.डी. पार्ट–टाईम छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक की संस्तुतियों के अनुरूप प्रतिवर्ष शुल्क लिए जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति में अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अभियांत्रिकी एवं टेक्नॉलाजी संकाय के अन्तर्गत AICTE के मानक (शिक्षक–छात्र अनुपात 1:20) के अनुसार संविदा के आधार पर पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति के द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षकों के 21 नये पद संविदा के आधार पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/मानक के अनरूप सृजित किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु।

अन्य बिन्दु संख्या–01

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 38/2021/1752/सत्तर–5–2021–4/2021 दिनांक 28 जुलाई, 2021 द्वारा जनपद सीतापुर के राजकीय महिला कालेज शेख–सरायं को संघटक महाविद्यालय (Constituent College) के रूप में चलाए जाने के आदेश निर्गत किये गये तथा फर्नीचार, प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे। उपरोक्तानुसार शासनादेश अंगीकृत किया गया तथा फर्नीचर एवं प्रयोगशाला उपकरणों के कय हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में रू0 25.00 लाख का प्राविधान लखनऊ विश्वविद्यालय विकास निधि मद से किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किये जा रहे 2021–22 में एम.बी.ए. पाठ्यक्रम (Finance & Accounting) हेतु तैयार किये गये आय–व्ययक तथा पदों के सृजन को वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–03

प्रवेश समिति की संस्तुतियों के अनरूप बी.ए. (आनर्स) पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीटों को बी.ए.(स्ववित्त पोषित) विषय के रूप में परिवर्तित करने के फलस्वरूप ऐसे छात्र/छात्राओं से प्रति विषय रू0 3000/– प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त शुल्क लिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–04

समिति के समक्ष अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को विश्वविद्यालय में निःशुल्क प्रवेश एवं निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कुलपति जी के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गयी कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों की छात्राओं हेतु शिक्षण शुल्क तथा छात्रावासों में रहने हेतु निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में अन्य नियमावली तैयार किये जाने हेतु कुलसचिव/वित्त अधिकारी महोदय को अधिकृत किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

21/08/21

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(प्रो0 ए. एम. सक्सेना)
परीक्षा नियंत्रक

21/8/21

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

21/8/21

(अशोक सिंह)
संयुक्त निदेशक, पेंशन निदेशालय,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

21/08/21

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति